



प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

09.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 373/26 धारा
115(2)/351(2)/352/108 बीएनएस में प्रकाश में आए वांछित 01 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री हासिम पुत्र अब्दुल हकीम निवासी खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. हसीना पत्नी साकिर पुत्री मुस्ताक निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, हाल निवासी ग्राम जगेठी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ 2. मो0न0-



6395153997 के धारक नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र साकिर उम्र करीब 35 वर्ष के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की व धमकी दी तथा आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद वादी के पुत्र साकिर द्वारा आत्महत्या कर ली गई । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 373/26 धारा 115(2)/351(2)/352/108 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही एवं उपलब्ध साक्ष्य आदि के आधार पर अभियुक्त विनीत पाल पुत्र प्रवीन पाल निवासी ग्राम नगला ताशी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 373/26 धारा 115(2)/351(2)/352/108 बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना कोतवाली बागपत पर की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विनीत पाल पुत्र प्रवीन पाल निवासी ग्राम नगला ताशी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 688 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 443 रामेंद्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 09.09.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद से चोरी की गई 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस मय फर्जी नं0 प्लेट DL13 SJ 8035 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को बडागांव बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद से चोरी की गई 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस मय फर्जी नं0 प्लेट DL13 SJ 8035 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 324/26 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-साहिल पुत्र महबूब उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला (फर्जी नं0 प्लेट DL13SJ8035)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-का0 724 कुशलपाल थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाये ।

यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-महफूज पुत्र महमूद निवासी मौ० कैतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत , उम्र करीब 41 वर्ष ।

अभियुक्त महफूज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 0097/2017 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 703/23 भादवि धारा 380 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का० 250 कोमल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का० 62 अरीब पठान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.09.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 635/26 धारा 351(2)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01

खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड नं0 UP-17AD-5695 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री दुष्यन्त उर्फ अमित राणा पुत्र श्री किरण सिंह निवासी 4/676 आजाद नगर, बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त रवि निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा अपने मोबाइल नम्बर से वादी के मोबाइल फोन पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 635/26 धारा 351,352(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.09.2026 को थाना बड़ौत पुलिस टीम द्वारा भूत भट्टे गोशाला, आचार्य खेड़ा रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया, तो मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई तथा वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त रवि के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायल

अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी बड़ौत भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बड़ौत के मु0अ0सं0 635/26 में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के कब्जे घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड नं0 UP17AD5695 हुई है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत । (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 बुलैट मोटरसाइकिल नं0 UP-17AD-5695

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 477/16 धारा 307/323/504 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0स0 496/17 धारा 302/307/34 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0स0 216/12 धारा 392 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4.मु0अ0स0 496/12 धारा 147/148/353/323/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5.मु0अ0स0 759/12 धारा 307/452/323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6.मु0अ0स0 761/12 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7.मु0अ0स0 01/13 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8.मु0अ0स0 287/13 धारा 364/302 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9.मु0अ0स0 625/14 धारा 386/323/504/506/427 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10.मु0अ0स0 212/14 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

- 11.मु0अ0स0 477/16 धारा 307/452/323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12.मु0अ0स0 453/16 धारा 336/429/323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13.मु0अ0स0 551/12 धारा 147/452/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 14.मु0अ0स0 110/16 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 15.मु0अ0स0 546/16 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 16.मु0अ0स0 1207/16 धारा 147/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 17.मु0अ0स0 1045/17 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 18.मु0अ0स0 1046/17 धारा 25 एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 19.मु0अ0स0 1047/17 धारा 411/420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 20.मु0अ0स0 61/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 21.मु0अ0स0 58/19 धारा 504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 22.मु0अ0स0 552/17 धारा 147/323/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 23.मु0अ0स0 215/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 24.मु0अ0स0 873/20 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 25.मु0अ0स0 1888/17 धारा 174ए भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 26.मु0अ0स0 1039/16 धारा 3/10 गुण्डा एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 27.मु0अ0स0 167/18 धारा 323/325 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 28.मु0अ0स0 692/25 धारा 323(2)/115(2)/351 बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 29.मु0अ0स0 635/26 धारा 351(2)/352 बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 30.मु0अ0स0 643/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0ान0श्रा रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

- 3- उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 735 संदीप थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 678 योगेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत ।
7. का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

